




FORM NO. III

फर्द अहकाम
(निगम 20)

अज अदालत -उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम नावां जिला डीडवाना-कुचामन
कौलाशचन्द्र पुत्र मदनलाल वनाम मालचन्द्र पुत्र बोदूराम
सा.टोडास, तहसील नावां सा. टोडास तहसील-
किरम कुमदमां : 88, 188 आर.टी.एक्ट मुकदमां नम्बर 275 /2024

| तारीख हुवम | हुवम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुआ |
|------------|---|---|
| 27.08.2024 | <p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया है। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p> <p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा उपस्थित। वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र जरिये विद्गोल खारिज करवाना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 को पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य में राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकारान की तामील नहीं हुई है तथा पक्षकारान के मध्य में राजीनामा होना तथा वाद हाजा को आगे नहीं चलाना वकील वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 में अंकन किया तथा आज तारीख पेशी पर जाहिर किया है, इसलिए वादी का वाद लोक अदालत की भावना से जरिये विद्गोल खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद जरिये विद्गोल खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p> | <p style="text-align: right;">  28/9/24 </p> |

28/9/24